वि0(27)पे0को0–93/2009 – 1548 वि0

बिहार सरकार,
वित्त विभाग।
संकल्प

पटना, दिनांक 27.06.2011

विषयः– **केन्द्र सरकार में कार्यरत वैसे कर्मी जिन्होंने दिनांक 01.09.2005 के बाद राज्य सरकार की सेवा में योगदान दिया है को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के संबंध में ।**

भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मियों के लिए नयी अंशदायी पेंशन प्रणाली दिनांक 01.01.2004 से लागू है उसी के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.09.2005 को या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1964 दिनांक 31.08.2005 के द्वारा नयी पेंशन योजना 2005 लागू की गयी है। फलस्वरूप दिनांक 31.08.2005 तक राज्य सरकार की सेवा में नियुक्त कर्मियों के मामले में बिहार पेंशन नियमावली 1950 एवं उसके अंतर्गत निर्गत परिपत्र लागू है। दिनांक 01.09.05 से नियुक्त कर्मियों के प्रसंग में नयी अंशदायी पेंशन प्रणाली लागू की गई है।

2. वित्त विभाग के संकल्प सं0 1964 दिनांक 31.08.05 की कंडिका 6 में अंकित है कि योजना प्रवृत होने की तिथि 01.09.2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के मामलों में वर्तमान में लागू सामान्य भविष्य निधि तथा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधान लागू नहीं होंगे अर्थात भविष्य निधि योजना के अंतर्गत अंशदान की कटौती नहीं की जाएगी।

3. केंद्र सरकार के सामान्य भविष्य निधि और पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित कुछ कर्मियों ने दिनांक 01.09.2005 के बाद राज्य सरकार की सेवा में योगदान दिया है। उनकी मांग रही है कि उन्हें पुरानी पेंशन/भविष्य निधि योजना में ही शामिल किया जाए।

4. सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 3123/10 प्रमोद कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के साथ सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 10882/2009 धनन्जय कुमार निराला एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2011 को दिये गए निदेश एवं भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के पत्र संख्या 28/30/2004–पी0 एण्ड पी. डब्ल्यू (बी0) दिनांक 28.10.09 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण वस्तुस्थिति पर सम्यक विचारोंपरांत यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे केन्द्रीय कर्मचारी जो दिनांक 31.08.2005 तक

केन्द्र सरकार या विधिवत गठित स्वायत निकाय में किसी पद पर कार्यरत थे और जो केंद्र सरकार की पुरानी पेंशन नियमावली तथा उसके अंतर्गत निर्गत परिपत्र से आच्छादित थे, उनके द्वारा राज्य सरकार के किसी ऐसे विभाग/संवर्ग/कार्यालय अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित किसी ऐसे स्वायत निकाय जहाँ पर दिनांक 31.08.2005 तक कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारियों के लिए बिहार पेंशन नियमावली 1950 और उसके अंतर्गत निर्गत परिपत्र में पुरानी पेंशन स्कीम पहले से विद्यमान थी, में कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिनांक 01.09.2005 को अथवा उसके बाद विधिवत विरमित होने या निहित प्रावधानों के अंतर्गत त्याग पत्र देने पर भी वे विगत सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित करने हेतु बिहार पेंशन नियमावली 1950 अन्तर्गत पुरानी पेंशन स्कीम तथा संबंधित नियमों से आच्छादित रहेंगे अर्थात ऐसे कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम की सुविधा सुलभ होगी।

5. उपर्युक्त मामलों में वित्त विभाग की सहमति अनिवार्य होगी।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र की अगामी अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27/6/11

(रविनंदन सहाय)
अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक– वि0(27)पे0को0–93/2009/ 1548 /वि0, पटना, दिनांक 27-6-2011

प्रतिलिपि–महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/6/11

(रविनंदन सहाय)
अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक– वि0(27)पे0को0–93/2009/ 1548 /वि0, पटना, दिनांक 27.06.2011

प्रतिलिपि– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/निबंधक उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/6/11

(रविनंदन सहाय)
अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक– वि0(27)पे0को0–93/2009/ 1548 /वि0, पटना, दिनांक 27.06.2011

प्रतिलिपि–संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, पंत भवन, पटना/सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/सभी कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/6/11

(रविनंदन सहाय)
अपर सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक– वि0(27)पे0को0–93/2009/................................/वि0, पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय, प्रेस, गुलजारबाग, पटना को असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त संकल्प की 1000 प्रति मुद्रित कर वित्त विभाग (पेंशन कोषांग) को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

(रविनंदन सहाय)
अपर सचिव, वित्त विभाग।

285